

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
 (यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
 17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

फा.सं. 3-1/टीसी/2022-23/एनसीआईएसएम/आउटसोर्स कार्यक्रम

दिनांक: 10 मई, 2023

अधिसूचना

सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीपा. एनसीआईएसएम द्वारा विनियमित आयुर्वेद यूनानी. सिद्धा और सोवारिंगपा कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए जुलाई 2023 से मई 2024 के दौरान प्राचार्यों के 20 बैच के लिए योजना और प्रशासन के संस्थागत प्रबंधन में नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

कुलपति ने निम्नलिखित के साथ कार्यक्रम प्रबंधन दल की एक समिति का गठन किया है:

कार्यक्रम प्रबंधन दल

क्र.सं.	संकाय/प्रशासनिक	गतिविधियां
1	कुलपति	सभी मार्गदर्शन और प्रावधान।
2	डीन (अकादमिक और अनुसंधान)	कार्यक्रम के सुचारू संचालन में सलाह और समर्थन।
3	कार्यक्रम निदेशक (अकादमिक)	पाठ्यक्रम योजना डिजाइन और कार्यक्रम के अकादमिक संचालन के प्रभारी।
4	कार्यक्रम निदेशक	प्रत्येक बैच के लिए एक कार्यक्रम निदेशक होगा जो संबंधित बैच के कार्यक्रम के संचालन के लिए समग्र प्रभारी होगा।
5	कार्यक्रम समन्वयक	कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम निदेशक के समर्थन और सहयोग से बैच के कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रभारी होंगे।
6	प्रशासन	कुलसचिव कार्यक्रम के नोडल अधिकारी हैं। वह समग्र प्रशासनिक प्रबंधन और कार्यक्रम के समर्थन के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
7	छात्रावास वार्डन	छात्रावास वार्डन छात्रावास और उसके परिवेश के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
8	वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रति

सभी संबंधित

(डॉ. डी.एस. कपूर)
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव माननीय कुलपति को सूचनार्थ
2. कुलसचिव के निजी सहायक
3. सभी संकाय सदस्य
4. कार्यालय आदेश फाइल
5. सिस्टम एनालिस्ट - नीपा वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।